

प्रेषक,

एस0एन0त्रिपाठी
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,गोण्डा ।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

पत्रांक सं0- 167, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,गोण्डा दिनांक 16.02.2024

विषय-मारुति सुजुकी आर्टिगा कार कय करने की सूचना बाबत ।

प्रसंग-माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 25/एडमिन(ए) दिनांकित13.07.1998 के संबंध में ।

महोदय,

विषयान्तर्गत विनम्र निवेदन है कि मैंने वाहन मारुति सुजुकी आर्टिगा कार नम्बर यू0पी0-83 बी0पी0 1321 माह नवम्बर 2021 में मु0 10,80,000/रूपये में कय किया है, जिसकी पूर्व में सूचना दिया है जिस पर आपत्ति लगी थी ।

आपत्ति दुरुस्त करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी सरकुलर लेटर नम्बर 25/एडमिन (ए) दिनांकित 13.07.1998 के अनुक्रम में सूचना सादर अवलोकनार्थ एवं कृपा पूर्व विचारार्थ प्रस्तुत है

सादर,

भवदीय
(एस0एन0 त्रिपाठी)
पीठासीन अधिकारी,

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,गोण्डा ।

दिनांक- 16.02.2024

संलग्नक:- 1-परिपत्र संख्या 25/एडमिन(ए)दिनांकित 13.07.1998 के अनुक्रम में सूचना ।

2-स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा डबरई फिरोजाबाद के खाता संख्या

10961705312 से की राशि -मु0-10,80,000/रूपये आर.टी.जी.एस. द्वारा की गयी कटौती दिनांकित 28.11.2023 की प्रति ।

3-एजेंसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति ।

4-वाहन संख्या यू0पी0-83 बी0टी0 1321 के रस्ट्रिशन की प्रति ।

5-तीन माह के बैंक स्टेटमेंट की प्रति (कमश:माह अक्टूबर ,नवम्बर,दिसम्बर 2023)

